भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4445

जिसका उत्तर 27 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

केरल की शीर्ष पाँच प्रदूषित नदियाँ

4445. डॉ. शशि थरूरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जल गुणवत्ता प्रबंधन प्रभाग के अनुसार सभी पाँच प्राथमिकता वर्गों में केरल की शीर्ष पाँच प्रदूषित नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल सबसे प्रदूषित नदी खंडों वाले शीर्ष राज्यों में तीसरे स्थान पर है और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय स्तर की नदी सफाई परियोजनाओं में इनमें से किसी या सभी नदियों को शामिल करने पर विचार करेगी और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवंबर 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, केरल राज्य में पांच सबसे प्रदूषित नदी खंडों (पीआरएस) का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	नदी का नाम	प्रदूषित नदी खंड/ स्थान	बीओडी मूल्य (मिलीग्राम प्रति लीटर)	प्राथमिकता वर्ग
1	करमना	अरुविकरा के पास और मुन्नट्टुमुक्कू के पास	10.2	III
2	नेय्यर	अरुविपुरम से अमरविला	6.5	IV
3	वामनपुरम	वामनपुरम के पास	6.3	IV
4	आयरूर	एर्नाकुलम के पास	5.5	V
5	कल्लाई	कल्लाई के पास	4.6	V
	मामोम	मामोम के पास	4.6	V

(ख): केरल में 18 पीआरएस हैं और पीआरएस की सूची में यह संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। पीआरएस के बारे में सीपीसीबी की रिपोर्ट

https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvMTQ5OF8xNjcyOTg4MDQ1X21lZGlhcGhvdG8xMjk5NS5wZGY= पर देखी जा सकती है:

(ग): नदियों की सफाई/पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और शहरी स्थानीय निकायों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़े जाने से पहले सीवेज और औद्योगिक बहि:स्रावों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करें।

नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय गंगा बेसिन की नदियों के लिए "नमामि गंगे" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में नदियों के चिन्हित खंडों में प्रदूषण कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। इसके अलावा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत सीवरेज बुनियादी अवसंरचना का निर्माण भी किया जाता है।

प्रदूषित नदी क्षेत्रों के किनारे बसे शहरों में प्रदूषण निवारण कार्यों के लिए एनआरसीपी के तहत समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से विचार हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तथा उनकी प्राथमिकता, एनआरसीपी दिशानिर्देशों के अनुरूपता, निधियों की उपलब्धता आदि के आधार पर मंजूरी दी जाती है।

पंबा-सबरीमाला शहर में पंबा नदी के प्रदूषण निवारण कार्य को एनआरसीपी के तहत 18.45 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से क्रियान्वित किया गया और केरल में 4.50 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज उपचार क्षमता निर्मित की गई। इसके अलावा, भारत सरकार ने एलामकुलम में चित्रपुझा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए 17.5 एमएलडी और पेरांदूर में पेरियार नदी के लिए 19 एमएलडी क्षमता का निर्माण करने की परियोजनाओं को क्रमशः 47.53 करोड़ रुपये और 49.78 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी है।

*****